संख्या- /2442/12-2-2021-03/2021

प्रेषक,

डॉ० देवेश चतुर्वेदी,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, सहकारिता विभाग, उत्तर प्रदेश शासन,

2- कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ,

3- निदेशक, राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कृषि अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 07 दिसम्बर, 2021

विषयः उत्तर प्रदेश राज्य में आत्म निर्भर कृषक समन्वित विकास योजना का क्रियान्वयन।

महोदय,

राज्य सरकार द्वारा कृषकों की आय दुगुनी करने के उद्देश्य एवं कृषि क्षेत्र में रोजगार बढ़ाने, तथा, केन्द्र एवं राज्य सरकार की योजनाओं का बेहतर उपयोग करते हुए कृषि क्षेत्र में अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु, आत्म निर्भर कृषक समन्वित विकास योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक में नई मांग के माध्यम से 100 करोड़ रूपये का आय-व्ययक प्रावधान शत-प्रतिशत राज्यांश से किया गया है। योजना पर अनावर्तक व्यय शून्य तथा आवर्तक व्यय लगभग 100 करोड रूपये प्रतिवर्ष सम्भावित है।

2- योजना की रूपरेखा में कृषि एवं सहवर्ती विभागों यथा उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, गन्ना, दुग्ध विकास, मत्स्य, पशुधन एवं मण्डी परिषद से सामान्जस्य स्थापित करते हुए प्रदेश के प्रत्येक विकास खण्ड में कृषि उत्पादक संगठनों की स्थापना एवं आवश्यक अवस्थापना सुविधाएं विकसित किया जाना है। कृषि को विकास का मुख्य केन्द्र बिन्दु मानते हुए इसके फॉरवर्ड एवं बैकवर्ड लिंकेज स्थापित किए जाएगें।

इस योजना के मुख्य घटक निम्न होगेः-

2.1 प्रदेश को कृषि उत्पादन की दृष्टि से 09 एग्रो क्लॉइमेटिक जोन में विभक्त किया गया है। प्रत्येक एग्रो क्लाइमेटिक जोन में अधिक उत्पादकता वाली फसलों को चिन्हित किया जाना,

2.2 चयनित फसलों को उनकी उत्पादन एवं उत्पादकता वृद्धि हेतु नवीन तकनीकी, निवेश को बढ़ावा दिया जाना,

2.3 चयनित उत्पादों से अधिक लाभ हेतु उनके मूल्य संवर्द्धन (वैल्यू एडिशन) करने का प्रयास किया जाना,

2.4 उत्पादित फसलों के विपणन हेतु बाजार का विकास किया जाना,

2.5 कृषकों के खेतों एवं कार्य करने में आने वाली समस्याओं का निराकरण किया जाना,

2.6 कृषक उत्पादक संगठन की अवधारणा को गति प्रदान करने, संगठन के व्यावसायिक गतिविधियों को प्रोत्साहन दिया जाना।

3- इस योजना में किसानों के हित में तथा उनके आय में सतत रूप से वृद्धि करने के उद्देश्य से योजना की रूपरेखा प्रस्तावित है। योजना के दो मुख्य घटक होंगे:-

3.1 कृषि उत्पादन संगठनों को विकसित कर प्रोत्साहित करना.

3.2 केंद्र सरकार द्वारा गठित कृषि अवस्थापना निधि का लक्ष्यों के अनुसार उपभोग हेतु प्रोत्साहन।

घटक 1: कृषि उत्पादन संगठन का विकास एवं प्रोत्साहन

4- उत्तर प्रदेश कृषि प्रधान राज्य है। प्रदेश की लगभग दो तिहाई आबादी की आजीविका कृषि एवं सहाय्यित क्षेत्र पर निर्भर है। कृषि जोतों के आधार पर प्रदेश में 2.38 करोड़ कृषक परिवार हैं, जिनमें लगभग 79 प्रतिशत सीमान्त किसान परिवार तथा 13 प्रतिशत लघु सीमान्त कृषक परिवार हैं। प्रदेश में कुल 241.70 लाख हेक्टेयर भूमि में से कुल 165.42 लाख हेक्टेयर बोया गया क्षेत्रफल है, जिसमें खरीफ में 128.89 लाख हेक्टेयर, रबी में 129.24 लाख हेक्टेयर एवं जायद में कुल 10.03 लाख हेक्टेयर में खेती की जा रही है। कुल 143.32 लाख हेक्टेयर में सिंचाई हो रही है। प्रदेश की अर्थव्यवस्था को एक ट्रिलियन अर्थव्यवस्था करने, किसानों की आय दोगुनी किये जाने तथा कृषक उद्यमिता विकास हेतु उत्तर प्रदेश कृषक उत्पादक संगठन नीति-2020 प्रदेश में बनायी गयी है। इस नीति की मूल आवधारणा प्रदेश के किसानों को कृषक उद्यमी के रूप में संगठित कर खेती-बाड़ी की सनातन भारतीय परम्पराओं को पुनः स्थापित करते हुये प्रदेश के प्रत्येक कृषक परिवार को पूर्ण आत्म निर्भर बनाना है।

5- उत्तर प्रदेश कृषक उत्पादक संगठन नीति-2020 लागू होने के उपरान्त, कृषि एवं सहवर्ती क्षेत्र के विकास कार्यक्रमों से प्रत्यक्ष रूप से जुड़े 17 विभागों की विभागीय परियोजनाओं में फार्मर प्रोड्यूसर कम्पनियों को प्रत्यक्ष रूप से जोड़ने के दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं।

6- भारत सरकार की एफ0पी0ओ0 नीति-2020 में 10 हजार फार्मर प्रोड्यूसर कम्पनियां बनाये जाने का कार्य किया जा रहा है, इसका क्रियान्वयन भारत सरकार की विभिन्न संस्थाओं यथा नाबार्ड, एन0सी0डी0सी0, नेफेड तथा एस0एफ0ए0सी0 इत्यादि द्वारा किया जा रहा है। केंद्र सरकार की नीति के अंतर्गत 2021-22 से प्रत्येक वर्ष लगभग 2000 नए कृषि उत्पादक संगठन, केंद्र सरकार द्वारा शत प्रतिशत पोषित किए जाएगें। एफ0पी0ओ0 के गठन और संवर्धन हेतु संचालन दिशा निर्देशिका भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की वेबसाइट http://agricoop.nic.in पर उपलब्ध है।

गठित और क्रियाशील होने वाले 10000 फार्मर प्रोड्यूसर कम्पनियों में से प्रत्येक वर्ष अनुमानतः 200 का लक्ष्य उत्तर प्रदेश राज्य को आवंटित होगा। इसी क्रम में वित्तीय वर्ष 2021-22 में प्रदेश में 200 फार्मर प्रोड्यूसर कम्पनियों (एफ0पी0ओ0) के गठन का लक्ष्य है, जिस पर कार्यवाही गतिमान है, तथा, इसी संख्या में एफ0पी0ओ0 का गठन अगले 5 वर्षों तक इन संस्थाओं द्वारा किए

जाने का लक्ष्य है। एफ0पी0ओ0 गठन, संचालन एवं प्रबन्धन पर आने वाला समस्त व्यय-भार लगभग रू. 43.00 लाख प्रति एफ0पी0ओ0 आगामी पाँच वर्ष में भारत सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। इस योजना के अन्तर्गत गठित होने वाली एफ0पी0ओ0 तथा उससे सम्बन्धित सी0बी0बी0ओ0 (क्लस्टर बेस्ड आर्गेनाइजेशन), को भारत सरकार द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। **विवरण (संलग्नक-1)**

7- राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक विकास खण्ड में 01 एफ0पी0ओ0 प्रति वर्ष, अर्थात, कुल 825 एफ0पी0ओ प्रति वर्ष बनाये जाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। यह प्रयास आगामी 03 वर्ष तक जारी रहेगा। इस प्रकार 2020-21 से आगामी 05 वर्षों में भारत सरकार द्वारा शत-प्रतिशत पोषित योजना से 1000 एफ0पी0ओ0 किया जाना सम्भावित है। लगभग 600 एफ0पी0ओ0 प्रदेश में पूर्व की केन्द्र सरकार की योजना द्वारा गठित है। इस प्रकार प्रदेश में वर्ष 2021-22 के मध्य से आगामी 05 वर्षों में केन्द्रीय योजनान्तर्गत 1000 एफ0पी0ओ0 तथा राज्य सरकार की योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 के मध्य से आगामी 3 वर्ष तक प्रदेश में 1475 एफ0पी0ओ0 (625*2+225=1475) गठित कर प्रोत्साहित किए जाएगें।

8- योजना के मुख्य प्राविधान निम्नवत हैं:-

8.1 योजना क्रियान्वयन का नोडल विभाग कृषि विभाग होगा तथा योजना कृषि विभाग के अंतर्गत गठित एफ0पी0ओ0 सेल के माध्यम से क्रियान्वित की जाएगी।

8.2 योजना का क्रियान्वयन हेतु राज्य स्तरीय क्रियान्वयन एजेंसी का चयन कृषि उत्पादन आयुक्त की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा किया जायेगा।

8.3 योजना का क्रियान्वयन केंद्र सरकार द्वारा क्रियान्वित योजना के पैटर्न पर ही किया जायेगा। एफ0पी0ओ0 के गठन से क्रियाशील होने तक 5 वर्ष की अवधि में होने वाला व्यय भी केंद्र पोषित योजना के पैटर्न पर होगा।

8.4 योजना के विस्तृत कार्यकारी निदेश प्रस्तावित वित्तीय सीमा के प्रतिबंधों के साथ कृषि विभाग द्वारा वित्त विभाग से परामर्श लेकर विभागीय मंत्री से अनुमोदन प्राप्त कर निर्गत किये जायेंगे।

9- राज्य संसाधनों से योजना के अंतर्गत 03 वर्ष में गठित होने वाले कुल 1475 एफ0पी0ओ0 का वार्षिक लक्ष्य है। योजना के अन्तर्गत कुल 14.75 लाख शेयर होल्डर किसानों को प्रत्यक्ष लाभ प्राप्त होगा।

घटक 2 केंद्र सरकार द्वारा गठित कृषि अवस्थापना निधि के उपयोग हेतु प्रोत्साहन

10- केन्द्र सरकार द्वारा कृषि अवस्थापना निधि की स्थापना की गयी है जो कृषि सेक्टर में पोस्ट हारवेस्ट अवस्थापनाओं को विकसित करने के लिए है। इस निधि के अन्तर्गत वित्तीय संस्थाओं द्वारा कृषि अवस्थापना विकसित करने के लिए ऋण देनेपर 03 प्रतिशत ब्याज की छूट दी गयी है। योजना के अंतर्गत कृषि सहकारी समितियां, कृषि उत्पादक संगठन, मण्डी परिषद, कृषक उद्यमी को सम्मिलित किया गया है। कृषि उत्पादों के भण्डारण, विधायन तथा विपणन की मूल्य सवंर्धन श्रंखला

का स्थापना हेतु भारत सरकार द्वारा कृषि अवसंरचना निधि योजना लागू की गयी है। इस योजना से समन्वय/कन्वर्जेन्स स्थापित करते हुए, प्रदेश में किसानों/कृषि उद्यमियों/एफ0पी0ओ/पैक्स (प्राथमिक कृषि सहकारी समिति) को समयबद्ध तरीके से लिंकेज स्थापित किये जाने की आवश्यकता है। इससे जहाँ एक ओर कृषि एवं सहवर्ती क्षेत्र में पोस्ट हार्वेस्ट हैंण्डलिंग हानियों को कम किया जा सकेगा, वहीं रोजगार अवसरों का सृजन होगा।

11- एक लाख करोड़ रुपये की कृषि अवस्थापना निधि के अंतर्गत उत्तर प्रदेश हेतु लगभग 12,000 करोड़ रुपये का निवेश कृषि सेक्टर के अवस्थापना सृजन हेतु मात्राकृत किया गया है। योजना के क्रियान्वयन हेतु प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट सहकारिता विभाग के अधीन गठित है।

<u>उपघटक 1: सहकारी संस्थायों (पैक्स) को प्रोत्साहन</u>

12- कृषि सहकारी समिति (पैक्स) द्वारा ग्रामीण स्तर पर कृषि अवस्थापना विकसित करने हेतु सहकारी या अन्य वित्तीय संस्थाओं से ऋण लेने पर मात्र 4 प्रतिशत ब्याज देय होता है। कृषि अवस्थापना निधि के अंतर्गत 3 प्रतिशत ब्याज उपादान 7 वर्ष तक प्राप्त होने से वास्तविक देय ब्याज मात्र 1 प्रतिशत रह जाता है, सहकारी समितियों द्वारा चुकाना संभव और सुलभ हो जाता है।

13- प्रदेश में 8929 पैक्स हैं और अधिकांश के पास अपनी भूमि है। लगभग 1100 इकाईयों के कृषि अवस्थापना निधि के प्रस्ताव नाबार्ड के माध्यम से वित पोषण हेतु प्रेषित किये गए हैं। यह ऐसी पैक्स हैं जो लाभकारी हैं तथा योजना के अंतर्गत आवश्यक ऋण के सापेक्ष 20 प्रतिशत मार्जिन मनी देने में सक्षम भी हैं। अद्यावाधिक प्रगति के अनुसार 550 इकाइयों के प्रस्ताव वित्तीय संस्थाओं द्वारा स्वीकृत हो चुके हैं तथा लगभग 120 करोड़ रुपये का ऋण स्वीकृत हो चुका है एवं रुपये 20 करोड़ का मार्जिन मनी इन पैक्स द्वारा जमा की गई है।

14- बड़ी संख्या में सहकारी समितियां ऐसी हैं, जो क्रियाशील हैं एवं लाभ में भी हैं, परन्तु अवस्थापना निधि के अंतर्गत ऋण लेने की स्थिति में इसलिए नहीं हो पा रही हैं, क्योंकि उनको ऋण की 20 प्रतिशत मार्जिन मनी अपने संसाधनों से उपलब्ध नहीं हो पा रही है। राज्य सरकार द्वारा (तेलगांना व आन्ध्र प्रदेश सरकार में दी गयी समानता के अनुसार) मार्जिन मनी एक मुश्त अनुदान के रूप में उपलब्ध कराने से 1500 से भी अधिक समितियां अवस्थापना निधि के अंतर्गत ऋण प्राप्त करके, ग्रामीण स्तर पर कृषकों के हित के लिए अवस्थापना विकसित कर सकेंगी।

15- वित्तीय वर्ष 2021-22 में 1500 ऐसी पैक्स, जो लाभकारी हैं, जिनके पास अपनी भूमि है तथा जो अवस्थापनानिधि के उपयोग हेतु ऋण लेने में सक्षम हैं, को एकमुश्त परियोजना लागत का 20 प्रतिशत(अधिकतम 4 लाख रुपये) मार्जिन मनी हेतु अनुदान दिया जायेगा। यह अनुदान ऋण स्वीकृत होने के दशा में सीधे वित्तीय संस्था को निर्गत होगा।

16- इस योजना के क्रियान्वयन हेतु सहकारिता विभाग उत्तरदायी होगा। सहकारिता विभाग के अधीन गठित पी0एम0यू0 योजना का क्रियान्वयन करेगा। इस प्रकार 1500 पैक्स को 4 लाख रुपये के हिसाब से अधिकतम 60 करोड़ रुपये का शासकीय व्यय से 240 करोड़ रुपये का ऋण 1 प्रतिशत वास्तविक ब्याज पर प्राप्त होगा, जिससे यह ग्रामीण क्षेत्र में 1500 स्थानों पर 300करोड़ रुपये की

अवस्थापना विकसित कर सकेंगे। इससे लगभग 1500 प्रत्यक्ष तथा 3000 अप्रत्यक्ष रोज़गार का सृजन होगा, तथा, लगभग 22.50 लाख कृषकों को सीधा लाभ प्राप्त होगा तथा उनकी आय में वृद्धि के अवसर प्राप्त होंगे।

उपघटक 2: कृषि उत्पादक संगठनों को पोस्ट हार्वेस्ट अवस्थापना सुविधाओं हेतु प्रोत्साहन

17- कृषि अवस्थापना निधि के अंतर्गत ऋण प्राप्त करने पर 3 प्रतिशत ब्याज उपादान 7 वर्षों हेतु केंद्र सरकार उपलब्ध करायेगी। अतः प्रदेश में गठित कृषि उत्पादक संगठनों को 03 प्रतिशत अवस्थापना निधि से ब्याज की छूट के पश्चात भी वितीय संस्थाओं से 06 प्रतिशत पर ऋण मिलेगा। कृषि उत्पादन संगठनों को और प्रोत्साहित करने हेतु तथा उनको इस योजना की तरफ आकर्षित करने के उद्देश्य से राज्य सरकार की ओर से, अतिरिक्त 03 प्रतिशत ब्याज उपादान उपलब्ध कराने से, अत्यन्त सस्ती दर अर्थात 3 प्रतिशत पर उन्हें ऋण प्राप्त हो सकेगा तथा एफ0पी0ओ0 इस योजना की ओर आकर्षित होगें।

18- योजना का लाभ लेने हेतु इच्छुक एफ0पी0ओ0 1.50 करोड़ रुपये तक का निवेश कर सकता है। यह निवेश मूल्य श्रंखला स्थापना तथा पोस्ट हार्वेस्ट अवस्थापना को विकसित करने हेतु होगा। प्रत्येक वर्ष लगभग 300 एफ0पी0ओ0 को निवेश की तरफ आकर्षित करने का लक्ष्य है। ए0आई0एफ0 योजनान्तर्गत ऋण वापसी की कुल अवधि 07 वर्ष की है। प्रथम 5 वर्ष की अवधि में 1500 एफ0पी0ओ0 लगभग 2250 करोड़ रुपये का निवेश कर सकेंगे जबकि ब्याज उपादान की धनराशि आगामी 7 वर्षों तक देय होगी।

उपघटक 3: कृषक उद्यमियों को प्रोत्साहन

19- कृषि अवस्थापना निधि के अंतर्गत निजी उद्यमियों को भी ऋण लेकर निवेश करने पर ब्याज उपादान सहायता का प्राविधान है, प्ररन्तु राज्य में अभी तक मात्र 197 इकाइयों द्वारा ही व्यावसायिक बैंकों को प्रस्ताव भेजे गए हैं, जिसकी परियोजना लागत लगभग 218 करोड़ रुपये है एवं 20 इकाइयों को 20 करोड़ रुपये का ऋण स्वीकृत हुआ है। युवा/कृषि उद्यमियों को भी अतिरिक्त 03 प्रतिशत ब्याज उपादान राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराने से, युवा उद्यमी कृषि सेक्टर की तरफ आकर्षित होगें तथा पोस्ट हारवेस्ट अवस्थापनाएं सृजित कर रोजगार सृजन के अवसर प्रदान कर सकेंगे।

20- प्रत्येक वर्ष लगभग 1000 उद्यमियों का कृषि अवस्थापना में निवेश लक्षित है। यदि प्रत्येक इकाई लगभग 50 लाख रुपये निवेश करेगी तो प्रत्येक वर्ष रुपये 500 करोड़ का निवेश होगा जिससे लगभग 5000 पूर्ण कालिक रोज़गार सृजन सहित कृषकों को पोस्ट हार्वेस्ट सेवाएँ ग्रामीण क्षेत्र में उपलब्ध हो सकेंगी। सम्बन्धित कृषक उद्यमियों को कृषि उत्पादों के भण्डारण, परिवहन तथा विपणन नेटवर्क की स्थापना के साथ-साथ आर्गेनिक खेती हेतु बायो इस्टुमलेन्ट उत्पादन एवं कृषि अपशिष्टों से सी0बी0जी0 उत्पादन, कम्प्रेस्ड बायो गैस उत्पादन परियोजना हेतु कम लागत ऋण की सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। ए0आई0एफ0 योजना के अन्तर्गत ऋण वापसी आगामी 7 वर्षों में करना है। अत: ब्याज उपादान आगामी 7 वर्षों तक दिया जाना प्रस्तावित है।

<u>उपघटक 4: मंडी समितियों को कृषि अवस्थापना निधि के उपयोग हेतु प्रोत्साहन</u>

21- केंद्र सरकार द्वारा कृषि विपणन सुधारों हेतु अधिनियम पारित करने के पश्चात प्रदेश की अधिसूचित मंडियों को और प्रतिस्पर्धात्मक बनाने हेतु रणनीति के अनुसार कार्य हो रहा है। मंडियों को प्रतिस्पर्धात्मक बनाने हेतु परिसरों में मूल्य संवर्धन की सुविधाओं के विकसित करने की कार्य-योजना है। जिसके अंतर्गत पोस्ट हार्वेस्ट अवस्थापना जैसे वेयरहाउस/भण्डारण, कोल्ड स्टोरेज, इंटीग्रेटेड पैक हाउस तथा रिपेनिंग चैम्बर इत्यादि का निर्माण सम्मिलित है। इन कार्यों पर निवेश हेतु वित्तीय संस्थाओं से ऋण लेकर वित्त पोषण का विकल्प उपलब्ध है। केन्द्र सरकार द्वारा भी मण्डी परिषद को कृषि अवस्थापना निधि हेतु अर्ह किया गया है।

22- मण्डी परिषद में निधि उपलब्ध है, तथापि, मण्डी परिषद बैंकों से ऋण लेने में संकोच करता है क्योंकि उनको वित्तीय संसाधनों से ए0आई0एफ0 की छूट के पश्चात भी 06 प्रतिशत ब्याज पर ऋण मिलता है। यदि प्रस्तावित 03 प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज उपादान की सुविधा राज्य सरकार द्वारा मण्डी परिषद को उपलब्ध करा दी जाती है, तो उनके लिए अवस्थापना निधि का लाभ लेते हुए, ऋण लेना वित्तीय रूप से अधिक लाभप्रद होगा। अत: प्रस्ताव है की 27 मंडियों में 140 करोड़ रुपये के प्रस्तावित निवेश हेतु 126 करोड़ रुपये के ऋण पोषण पर 7 वर्ष तक 3 प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज उपादान राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराया जाये। जिससे कृषि अवस्थापना निधि द्वारा उपलब्ध कराये जा रहे 3 प्रतिशत ब्याज उपादान के साथ कुल ब्याज उपादान 6 प्रतिशत हो जायेगा और मंडी परिषद् को मात्र 3 प्रतिशत ब्याज पर ऋण उपलब्ध हो सकेगा।

23- उपघटक 2 से 4 का क्रियान्वयन भी सहकारिता विभाग के अधीन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट द्वारा किया जायेगा। सम्बंधित लाभार्थी कृषि उत्पादन संगठन, उद्यमी, मंडी समिति/मंडी परिषद स्वयं परियोजना प्रस्ताव ऋण पोषण हेतु कृषि अवस्थापना निधि के आधिकारिक पोर्टल **<u>https://agriinfra.dac.gov.in</u>** पर आवेदन करेंगे। आवेदन वित्तीय संस्था द्वारा स्वीकृत होने पर केंद्र सरकार के कृषि कल्याण मंत्रालय द्वारा 3 प्रतिशत ब्याज उपादान का भुगतान किया जायेगा। तत्पश्चात् राज्य की परियोजना प्रबंधन इकाई द्वारा ब्याज उपादान का भुगतान किया जायेगा।

24- योजना का अनुश्रवण कृषि अवस्थापना निधि के अनुश्रवण हेतु पूर्व से गठित कृषि उत्पादन आयुक्त की अध्यक्षता की समिति द्वारा किया जायेगा। शासन स्तर पर नीतिगत समन्वय हेतु एफ0पी0ओ0 सेल का गठन किया गया है। उत्तर प्रदेश कृषक उत्पादक संगठन नीति-2020 के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु कृषि उत्पादन आयुक्त की अध्यक्षता में राज्य परियोजना प्रबन्धन इकाई (एफ0पी0ओ0 कार्यक्रम) गठित है तथा इस इकाई की सहायता हेतु मण्डल स्तर पर मण्डलीय परियोजना प्रबन्धन इकाई एवं जिला स्तर पर जनपद स्तर पर जनपद स्तरीय परियोजना प्रबन्धन इकाई भी गठित है। कृषि अवस्थापना निधि के प्रदेश में क्रियान्वयन के सम्बन्ध में कृषि अनुभाग-3, कृषि विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या:346/12-3-3021-100(33)/2018, दिनांक 24 फरवरी 2021 (प्रति संलग्न) द्वारा निर्देश जारी किए गए हैं। **संलग्नक-2**

25- आत्म निर्भर कृषक समन्वित विकास योजना के क्रियान्वयन हेतु निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगाः-

(1) योजनान्तर्गत व्यय-भार को आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि की सीमान्तर्गत संचालित किया जाएगा। भविष्य में यथा आवश्यकतानुसार आय-व्ययक में धनराशि वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन की सहमति से प्राविधानित की जाएगी।

(2) भारत सरकार की कृषि अवस्थापना निधि योजना के अन्तर्गत मण्डी समिति की भॉति ब्याज उपादान के लिए अर्ह संस्थाएं जैसे राज्य भण्डारागार निगम, प्रादेशिक कोआपरेटिव फेडरेशन, केन्द्रीय भण्डारागार निगम (उत्तर प्रदेश के लिए क्रय कार्य हेतु) भारतीय खाद्य निगम (उत्तर प्रदेश के कार्यो हेतु) भी अन्य राज्यों की भॉति भारत सरकार द्वारा प्रदान 3 प्रतिशत ब्याज उपादान के साथ कृषि विभाग की आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना में प्रस्तावित टाप-अप के 3 प्रतिशत ब्याज उपादान के पात्र माने जाएंगे, ताकि भारत सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश के सहकारिता विभाग को आवंटित धनराशि के सापेक्ष कार्य पूर्ण हो सकें।

(3) प्रस्तावित योजना के अन्तर्गत स्थापित किए जा रहे संगठनों द्वारा यदि कृषि वानिकी उत्पाद से सम्बन्धित गतिविधियां की जाती हैं तो सम्बन्धित गतिविधियां वन क्षेत्र से इतर क्षेत्र में की जाएगी, तथा, सम्बन्धित गतिविधियां भारतीय वन अधिनियम 1927, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972, उ0प्र0 वृक्ष संरक्षण अधिनियम 1976 तथा वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्राविधानों के अनुरूप किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा।

कृपया तद्नुसार उत्तर प्रदेश राज्य में चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 से आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना का प्रभावी एवं सफलतापूर्वक क्रियान्वयन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

संलग्नकः यथोक्त।

भवदीय,

डा0 देवेश चतुर्वेदी,
अपर मुख्य सचिव।

संख्या- /2442(1)/12-2-2021-03/2021, तददिनांक।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- सचिव, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली,
2- सचिव, सहकारिता मंत्रालय, सहकारिता विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली,
3- अपर मुख्य सचिव, मा0 राज्यपाल जी, उत्तर प्रदेश,
4- अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्य मंत्री जी, उत्तर प्रदेश,
5- मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन,
6- कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन,

7- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, नियोजन विभाग, उद्यान विभाग, मत्स्य विभाग, पशुधन विभाग, ग्राम्य विकास विभाग, पंचायती राज विभाग, कृषि विपणन विभाग, कृषि विदेश व्यापार एवं निर्यात प्रोत्साहन विभाग, दुग्ध विकास विभाग, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन,

8- अध्यक्ष, नाबार्ड, मुम्बई,

9- मुख्य महाप्रबन्धक, नाबार्ड, लखनऊ,

10- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश,

11- राज्य समन्वयक, एस0एल0बी0सी0, बैंक ऑफ बड़ौदा, प्रदेश कार्यालय, गोमतीनगर, लखनऊ,

12- समस्त अपर/संयुक्त/उप कृषि निदेशक एवं जिला कृषि अधिकारी, उ0प्र0,

13- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-1,उत्तर प्रदेश शासन,

14- कृषि अनुभाग-3/5, उत्तर प्रदेश शासन,

15- गार्ड बुक।

आज्ञा से,

07/12/2021

(शत्रुन्जय कुमार सिंह)

विशेष सचिव।

संलग्नक–1

(क) एफ0पी0ओ0 तथा उससे सम्बन्धित सी0बी0बी0ओ0 (क्लस्टर बेस्ड आर्गेनाइजेशन), को भारत सरकार द्वारा दी जाने वाली वित्तीय सहायता का विवरण

क्रमांक	वर्ष	एफ0पी0ओ0 को भुगतान (लाख रूपये में)	सी0बी0बी0ओ0 को भुगतान (लाख रूपये में)	योग (लाख रूपये में)
1	2	3	4	5
1	प्रथम वर्ष	6.00	5.00	11.00
2	द्वितीय वर्ष	6.00	5.00	11.00
3	तृतीय वर्ष	6.00	5.00	11.00
4	चतुर्थ वर्ष	–	5.00	5.00
5	पंचम वर्ष	–	5.00	5.00
योग		**18.00**	**25.00**	**43.00**

(ख) एफ0पी0ओ0 तथा सी0बी0बी0ओ0 को गठन के उपरान्त प्रबन्धन मद में वित्तीय सहायता का विवरण

धनराशि (रूपये में)

क्र0 सं0	व्यय की मद	प्रतिमाह व्यय	वार्षिक व्यय
1.	मुख्य कार्यपालक अधिकारी/प्रबन्धक का वेतन/मानदेय	रू. 25,000.00 अधिकतम	रू. 3,00,000.00 अधिकतम
2.	लेखाकार का वेतन/मानदेय	रू. 10,000.00 अधिकतम	रू. 1,20,000.00 अधिकतम
3.	कम्पनी पंजीयन लागत (एक बार)	–	रू. 40,000.00 अधिकतम
4.	कार्यालय का किराया	रू. 4,000.00 अधिकतम	रू. 48,000.00 अधिकतम
5.	बिजली, पानी, टेलीफोन	रू. 1,000.00 अधिकतम	रू. 12,000.00 अधिकतम
6.	कार्यालय फर्नीचर, उपकरण इत्यादि (एक बार)	–	रू. 1,00,000.00 अधिकतम
7.	भ्रमण तथा मीटिंग व्यय	रू. 1,5.00 अधिकतम	रू. 18,000.00 अधिकतम
8.	अन्य व्यय	–	रू. 12,000.00 अधिकतम
	योग	**रू. 41,500.00** अधिकतम	**रू. 6,50,000.00** अधिकतम

नोट :

भारत सरकार द्वारा इस मद में व्यय की अधिकतम अनुमन्यता रू. 6.00 लाख प्रति वर्ष, अथवा, रू. 18.00 लाख 03 वर्ष की अवधि हेतु निर्धारित की गयी है। उक्त दर एवं विवरण के अनुसार एफ0पी0ओ0 को गठन वर्ष से 3 वर्ष की अवधि तक व्यय का भुगतान किया जाता है।

संलग्नक - 2

संख्या– 346 / 12–3–2021–100(33)/2018

प्रेषक,

आलोक सिन्हा,
कृषि उत्पादन आयुक्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव(ए0पी0सी0 शाखा),
   समस्त विभागाध्यक्ष (ए0पी0सी0 शाखा),
   उत्तर प्रदेश शासन।

2. समस्त जिलाधिकारी / समस्त मुख्य विकास अधिकारी,
   उत्तर प्रदेश।

विषयः **कृषि अवस्थापना निधि का प्रदेश में कियान्वयन के सम्बन्ध में।**

कृषि अनुभाग–3, लखनऊ, दिनांकः 24 फरवरी, 2021

महोदय,

आप अवगत हैं कि केन्द्र सरकार द्वारा कृषि क्षेत्र में अवस्थापना के विकास हेतु कृषि अवस्थापना निधि का गठन किया गया है। इस कृषि अवस्थापना निधि का मुख्य उद्देश्य कृषि सेक्टर में पोस्ट हार्वेस्ट अवस्थापना का योजनाबद्ध तरीके से विकास करना है जिससे कृषकों की आय में वृद्धि एवं रोजगार सृजन हो।

2. उपरोक्त सन्दर्भ में अपर मुख्य सचिव, कृषि के शासनादेश संख्या–4685/ ए0सी0एस0ए0जी0–कैम्प/2020, दिनांकः 18 सितम्बर, 2020 निर्गत किया गया जो कि जिलाधिकारियों को सम्बोधित है, जिसमें केन्द्र सरकार द्वारा केन्द्र पोषित कृषि अवस्थापना निधि की स्थापना के दिशा निर्देशों को संलग्न करते हुए जिलाधिकारियों से इसके कियान्वयन की अपेक्षा की गयी थी। कृषि अवस्थापना निधि के संचालन व अनुश्रवण हेतु जिला स्तरीय अनुश्रवण समिति भी कृषि विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या–1587/12–2–2020–1/2019, दिनांक 11 अगस्त, 2020 द्वारा जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित की गयी है।

3. अवस्थापना निधि से कुल 1 लाख करोड़ के पूँजी निवेश/ऋण पोषण का लक्ष्य अगले 5 वर्षो के लिए रखा गया है। उक्त में से 12,831 करोड़ के निवेश का लक्ष्य उत्तर प्रदेश के लिए है।

4. कृषि अवस्थापना निधि के माध्यम से सहकारी संस्थाओं, पैक्स समेत कृषि उत्पादक संगठन, उद्यमी तथा मण्डी परिषद/समितियों द्वारा अनुमन्य अवस्थापना सृजन हेतु ऋण प्राप्त करने पर 3 प्रतिशत का ब्याज उपादान की व्यवस्था की गयी है। परियोजनाएं पात्र संस्थाओं/उद्यमियों द्वारा वित्तीय संस्थाओं को अनुमन्य अवस्थापना सृजन हेतु ऋण के लिए प्रेषित की जाएगी। उन्हें केन्द्रीय कृषि मंत्रालय के पोर्टल पर भी उपलोड किया जाएगा

जिससे केन्द्र सरकार के द्वारा भी, वित्त पोषण का अनुश्रवण किया जा सके एवं, ब्याज उपादान उपलब्ध कराया जा सके।

5. इस निधि के कियान्वयन हेतु अपर मुख्य सचिव सहकारिता के नियंत्रण में एक परियोजना प्रबन्ध इकाई का गठन भी किया गया है। केन्द्र सरकार द्वारा इस पी0एम0यू0 हेतु वित्तीय संसाधन भी उपलब्ध कराये जाएंगे, जिससे यह प्रभावी रूप से कार्य करसके।

6. **अनुमन्य परियोजनाएं**

निधि के कियान्वयन हेतु विभिन्न अवस्थापना विकसित करने हेतु निम्नलिखित परियोजनाएं ली जा सकती है:–

(i) सहकारिता क्षेत्र में पैक्स अथवा अन्य सहकारी समितियों द्वारा विकास खण्ड/ग्राम पंचायत, स्तर पर वेयर हाउस/गोडाउन का निर्माण।

(ii) ग्राम स्तर पर बहुद्देश्यीय सेवाकेन्द्रों की स्थापना, जिनमें विभिन्न प्रकार की सेवाएं जैसे खाद/बीज भण्डारण, खाद/बीज/फसल सुरक्षा रसायनों का वितरण, फार्म मशीनरी बैंक, एसेंयिंग, कोल्ड स्टोरेज, दुग्ध संग्रह केन्द्र न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कय केन्द्र, डिजिटल मार्केटिंग इत्यादि एक छत के नीचे उपलब्ध हो जिससे कृषकों को अपनी आवश्यकताओं के हेतु एक ही जगह आना पड़े। इस कार्य हेतु सहकारी समितियों पर उपलब्ध भूमि का प्रयोग किया जा सकता है।

(iii) कृषि विविधीकरण के अधीन औद्यानिक फसलों के आच्छादन में निरन्तर विकास हो रहा है। औद्यानिक फसलों के पोस्ट हार्वेस्ट अवस्थापना को क्लस्टर अप्रोच के आधार पर विकसित करने हेतु जनपद स्तर पर एक कार्य योजना विकसित की जानी आवश्यक है तथा उक्त कार्य योजना में विभिन्न कृषि अवस्थापना जैसे कोल्ड स्टोरेज, कृषि प्रसंस्करण इकाईयॉं, राइपनिंग चैम्बर्स इत्यादि की आवश्यकताओं का आकलन हो। उक्त आकलन के आधार पर उनकी मॉडल प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार की जाए। इन मॉडल प्रोजेक्ट रिपोर्ट के आधार पर कृषि उत्पादन संगठन/निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित करते हुए अवस्थापना का विकास करने हेतु जनपद स्तर पर ऋण पोषण हेतु प्रयास किये जायें। कृषि अवस्थापना विकसित होने से फार्म गेट से ही कृषकों को अपने उत्पाद की विपणन की व्यवस्था उपलबध हो जायेगी तथा पोस्ट हार्वेस्ट हानियॉं को रोका जा सकेगा।

(iv) सबमिशन ऑन मैकेनिकल ऑर्गेनाइजेशन तथा कृषि अवशेष के इनसीटू प्रबन्ध की योजनाओं के अन्तर्गत कृषि यंत्र कय हेतु कृषकों व पंजीकृत कृषि समूह/एफ0पी0ओ0/सहकारी समितियों को अनुदान देय है तथा शेष धनराशि को ऋण से वित्त पोषण प्राप्त कर सकते हैं। वित्तीय संस्थाओं द्वारा योजनान्तर्गत उपलब्ध कराये गये ऋण पर भी कृषि अवस्थापना निधि के ब्याज उपादान तय है। अतः आवश्यकता है कि इन योजना का लाभ लेने वाले कृषकों और वित्तीय संस्थाओं में इसका प्रचार करते हुए अधिकाधिक उपयोग सुनिश्चित कराया जाये।

7. **वित्त पोषण हेतु अनुमन्यता**

(i) नाबार्ड के रि–फाइनेंस के माध्यम से प्रैक्स को 4 प्रतिशत पर ऋण उपलब्ध हो जाता है और अवस्थापना निधि के ब्याज उपादान से मात्र 1 प्रतिशत पर ऋण उपलब्ध कराने से समितियॉ इन बहुद्देश्यीय सेवा केन्द्रों/भण्डार गृहों को संचालित करते हुए आय अर्जित कर कृषकों को सेवायें प्रदान कर सकेंगे।

(ii) केन्द्र सरकार व राज्य सरकार की योजनाओं से विभिन्न कृषि उत्पादक संगठनों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। यह कृषि उत्पादक संगठन भी पोस्ट हार्वेस्ट अवस्थापना प्राप्त करने पर ब्याज उपादान का लाभ लेते हुए वित्त पोषण उपलब्ध करा सकती हैं।

(iii) निजी क्षेत्र/उद्यमियों को एग्री स्टार्टअप के लिए प्रेरित करते हुए स्थानीय अवस्थापना आवश्यकताओं के विकसित करने हेतु प्रोत्साहित किया जा सकता है एवं उनके वित्त पोषण में भी सहायता की जा सकती है।

(iv) मण्डी समितियों द्वारा भी अवस्थापना निधि का लाभ लेने के लिए सक्रिय भूमिका अपनानी होगी। वह उपलब्ध रिक्त भूमि पर इस प्रकार की अवस्थापना विकसित करें जिससे कृषकों को तो लाभ होगा ही वहीं सेवाओं का उपयोग करने से मण्डियों को भी आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने में सहायता मिलेगी।

(v) कृषि अवस्थापना निधि के दिशा निर्देशों के अनुसार ब्याज उपादान प्राप्त करने के साथ–साथ विभिन्न केन्द्र व राज्य की योजनाओं के अन्तर्गत अनुमन्य लाभ भी लिये जा सकते हैं। अतः कन्वर्जेंस की रणनीति अपनाते हुए क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाना है।

8. **निधि का प्रचार–प्रसार**

(i) जिला स्तर पर विभिन्न उद्योग संगठनों/उद्यमियों, प्रगतिशील कृषकों व युवाओं को योजना के बारे में जानकारी देने, सम्भावनाओं के आधार पर रणनीति तैयार करने हेतु नियमित रूप से कार्यशालाएं/सेमिनार्स भी आयोजित की जाये।

(ii) सोशल मीडिया के माध्यम से भी इसका प्रचार किया जाये।

(iii) सफलता की कहानियों को भी प्रचारित किया जाये जिससे अन्य संस्थाएं/उद्यमी भी प्रेरित हों।

(iv) विभाग द्वारा राज्य/मंडल/जनपद/विकास खण्ड/ग्राम पंचायत स्तर पर होने वाले मेलों/प्रशिक्षण/कार्यशाला/प्रदर्शनी में कृषि अवस्थापना निधि का प्रचार–प्रसार व सफल प्रयोगों की Show Casing अवश्य हो।

9. जनपद स्तर पर उपरोक्त प्रयासों को आगे बढ़ाने के लिए जिलाधिकारी व मुख्य विकास अधिकारी का नेतृत्व महत्वपूर्ण हागा तथा उनकी अध्यक्षता में निम्न प्रकार से समिति का पुनर्गठन किया जाता है जो कार्य योजना के क्रियान्वयन में गति देगीः–

(i) जिलाधिकारी – अध्यक्ष

(ii) मुख्य विकास अधिकारी – उपाध्यक्ष

(iii) ए0आर0 को–ऑपरेटिव

(iv) जिला उद्यान अधिकारी

(v) उप कृषि निदेशक

(vi) प्रबन्धक जिला सहकारी बैंक

(vii) महाप्रबन्धक जिला उद्यान केन्द्र

(viii) उप निदेशक/सचिव मंण्डी समिति

(ix) जिला गन्ना अधिकारी

(x) राष्ट्रीय आजीविका मिशन के जिला स्तरीय अधिकारी

(xi) कृषि विपणन से जुड़े अधिकारी

(xii) जिला प्रबन्धक, नाबार्ड – सचिव
(जहॉ जिला प्रबन्धक न हों, वहॉ उप कृषि निदेशक यह कार्य देखेंगे)

(xiii) अन्य कोई जिला स्तरीय अधिकारी जिसे जिलाधिकारी स्थानीय आवश्यकतानुसार उचित समझे।

(xiv) लीड बैंक मैनेजर

(xv) जिलाधिकारी द्वारा नामित 2 प्रगतिशील किसान और

(xvi) जिलाधिकारी द्वारा नामित 1 प्रगतिशील एफ0पी0ओ0

10. मुख्य विकास अधिकारी व कृषि सेक्टर से जुड़े अधिकारियों के वार्षिक मूल्यांकन में कृषि अवस्थापना निधि तथा कृषि उत्पादक संगठनों की योजनाओं में किये गये प्रयास को सम्मिलित किया जाएगा।

11. कृषि सेक्टर से जुड़े विभिन्न विभाग के अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव एवं विभागाध्यक्षों से यह अपेक्षा है कि वह अपने–अपने कार्य क्षेत्र में नेतृत्व करते हुए कृषि अवस्थापनाओं को विकसित करने में सक्रियता से योगदान दें व निधि का अधिक से अधिक उपयोग सुनिश्चित करेंगे।

12. जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी व विभागीय जिला स्तरीय अधिकारियों से भी अपेक्षा है कि वह जनपद स्तर पर कार्य योजना बनाते हुए योजनाबद्ध तरीके से क्रियान्वयन सुनिश्चित करायें जिससे कृषकों की आय बढ़ाने एवं सेक्टर में रोजगार सृजन के अवसर उपलब्ध हो सके।

भवदीय,

(आलोक सिन्हा)
कृषि उत्पादन आयुक्त